



Neutral Citation No. – 2026:AHC:826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 263/2022

हरि कृष्ण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व बोर्ड और 3 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	:	राम दयाल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी के वकील	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एमडी सिंह, जिनकी सहायता श्री वैभव गोस्वामी, विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे, और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राम धन की दलीलें सुनी गईं।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद पुराने प्लॉट संख्या 2601 (नया प्लॉट संख्या 1572), क्षेत्रफल 3.56 एकड़, पुराने प्लॉट संख्या 2581 (नया प्लॉट संख्या 1534), क्षेत्रफल 6.36 एकड़ और पुराने प्लॉट संख्या 2598 (नया प्लॉट संख्या 1570 का), क्षेत्रफल 2.46 एकड़ से संबंधित है। चकबंदी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को संबंधित प्लॉट पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। चकबंदी अधिकारियों के आदेश सहित सीएच फॉर्म संख्या 45 की प्रति, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम संबंधित प्लॉट पर दर्ज है, रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है। तदनुसार, याचिकाकर्ता का नाम 1424 फसली से 1429 फसली तक खतौनी में दर्ज था, लेकिन बाद में संबंधित प्लॉट के संबंध में प्रविष्टि में परिवर्तन किया गया। जांच करने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि दिनांक 6.9.2018 का आदेश उप-विभागीय अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत पारित किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 33611/2018 दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 3.5.2019 के आदेश द्वारा उप-विभागीय अधिकारी के दिनांक 6.9.2018 के आदेश को रद्द कर दिया और उप-विभागीय अधिकारी को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के दिनांक 3.5.2019 के आदेश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

के अनुसरण में, उप-विभागीय अधिकारी ने दिनांक 21.10.2019 को एक नया आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की प्रविष्टि को हटा दिया। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के तहत अपील में दिनांक 21.10.2019 के आदेश को चुनौती दी, जिसकी सुनवाई अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा की गई। उपर्युक्त अपील पर सुनवाई हुई और दिनांक 24.3.2021 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत राजस्व बोर्ड के समक्ष दिनांक 24.3.2021 के आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी, जिसे दिनांक 10.8.2021 के आदेश द्वारा सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया। अतः, निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 21.10.2019 को पारित आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 11), प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.3.2021 को पारित आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 12) और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.8.2021 को पारित आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 14) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. इस न्यायालय ने 16.5.2022 को इस मामले पर सुनवाई की और निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.डी. सिंह शेखर, जिनकी सहायता श्री राम न्याल द्विव्यारी, विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे, और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।"

याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 3/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील बसगांव, जिला गोरखपुर द्वारा पारित आदेश, दिनांक 24.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त गोरखपुर, मंडल गोरखपुर द्वारा पारित आदेश और दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादियों को भूमि की प्रकृति में परिवर्तन न करने का निर्देश दिया जाए।

रिट याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील बसगांव, जिला गोरखपुर के समक्ष मामला संख्या आरएसटी/03689/2018 दर्ज करके धारा 38 की उपधारा (1) के तहत कार्यवाही शुरू की थी। उक्त मामला उनके द्वारा दिनांक 21.10.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत गोरखपुर मंडल के आयुक्त के समक्ष अपील संख्या C201905000002228/2019 दायर की। उक्त अपील दिनांक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

24.03.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या **REV/1177/2021/गोरखपुर** (कंप्यूटर केस संख्या **R20210531001177**) दायर की।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका केवल इस आधार पर खारिज की गई थी कि वह सुनवाई योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि राजस्व बोर्ड द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय सरासर गलत है और उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, **2006** की धारा **210** के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है। उन्होंने रिट याचिका संख्या **25616/2021** (जैंका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में इस न्यायालय द्वारा दिनांक **12.05.2022** को पारित आदेश के अनुच्छेद **48** का हवाला दिया।

इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

विद्वान स्थायी वकील ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया।

स्थायी वकील द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, प्रतिवाद दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।

यदि कोई प्रतिउत्तर हलफनामा हो, तो उसे इसके दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

शपथपत्रों के आदान-प्रदान के बाद सूची तैयार करें।

इस न्यायालय के अगले आदेश तक, पक्षों को घटनास्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

4. इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, पक्षों ने अपने-अपने जवाबों का आदान-प्रदान किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश को, 10.3.2019 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2019 द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किए बिना, सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे इस न्यायालय के 2022 156 आरडी में प्रकाशित निर्णय, झिंका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य, का हवाला देते हुए यह प्रदर्शित किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध पूरी तरह से सुनवाई योग्य है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

6. राज्य के विधि अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत उप-विभागीय अधिकारी और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के तहत अतिरिक्त आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई अवैधता नहीं है, अतः धारा के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका खारिज की जा सकती है।

यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत राजस्व बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार्य न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रिट याचिका खारिज होने योग्य है।

7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील, राज्य के विद्वान विधि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

9. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2019 द्वारा 10.3.2019 से प्रभावी किए गए संशोधन का अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-

38. त्रुटि एवं चूक का सुधार.-(1) मानचित्र, क्षेत्र-पुस्तिका (खसरा) या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी त्रुटि या चूक के सुधार हेतु आवेदन तहसीलदार को निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर या किसी त्रुटि या चूक के कारण उसे अन्यथा पता चलने पर यदि तहसीलदार को जानकारी हो, तो वह ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, और मानचित्र सुधार के मामले में अपनी रिपोर्ट सहित मामले को कलेक्टर को और अन्य सुधारों के मामले में उप-विभागीय अधिकारी को भेजेगा।

(3) मामले का निर्णय कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, उनके समक्ष या तहसीलदार के समक्ष दायर की गई किसी भी आपत्ति और प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के तहत कलेक्टर या उप-विभागीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है, और [आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा]

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

10. झिका देवी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुच्छेद संख्या 62, 63 और 64 का अध्ययन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:-

62. धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 210 के प्रावधानों की उपरोक्त तरीके से व्याख्या करने और सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने से दोनों प्रावधानों के बीच स्पष्ट विरोधाभास का समाधान हो जाएगा और दोनों धाराओं के प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि दोनों प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जा सके, बिना किसी को निरर्थक या बेकार बनाए।

63. अतः यह एक आवश्यक परिणाम होगा कि धारा 24 की उपधारा (4) के तहत अपील में आयुक्त द्वारा पारित आदेश, जो इस अर्थ में अंतिम है कि इसके विरुद्ध कोई और अपील नहीं है, धारा 210 के तहत बोर्ड की पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन होगा।

64. विजय कुमार और अन्य (उपरोक्त) के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जिस निर्णय का हवाला दिया गया है, उसके संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपर्युक्त निर्णय उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901 (अब निरस्त) के प्रावधानों के संदर्भ में दिया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत वैधानिक योजना पूरी तरह से भिन्न होने के कारण, विशेष रूप से वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, जिसके तहत धारा 24 की उपधारा (4) के तहत अपील में पारित आदेश को धारा 210 के प्रावधानों के अधीन कर दिया गया है, उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

11. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 में यूपी अधिनियम संख्या 7, 2019 द्वारा 10.3.2019 में प्रभावी संशोधन और झिका देवी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.8.2021 का विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

12. रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और मामले को प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष पुनः भेजा जाता है ताकि पुनरीक्षण को उसके मूल क्रमांक पर पंजीकृत किया जा सके और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, यथाशीघ्र, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार, योग्यता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

5 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"